ग्राम पंचायत स्वाड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के लेखों का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023

भाग–एक

1. **प्रस्तावना (क):–**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप–संचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत स्वाड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों का अंकेक्षण हि0 प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत स्वाड़ में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

प्रधान :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति गुडडी देवी	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री संजय कुमार	01.04.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :–

ग्राम पंचायत स्वाड़ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही एवं बैंक खाते के अन्तशेष में बहुत ज्यादा अन्तर पाया जाना।	2.08
2	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना ।	56.56
3	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतू शेष पाया जाना ।	0.25
4	8	रॉयल्टी की वसूली न करने के फलस्वरूप अनियमित/अधिक भुगतान करना।	0.04
5	9	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना।	1.35
6	10	टी0डी0एस0 की कटौती न करना ।	0.05

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन :–

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर पंचायत द्वारा कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त अनिर्णीत पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से है :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

क्र0सं0	पैरा संख्या	निर्णीत/अनिर्णीत ।
1	3	अनिर्णीत।
2	4 व 4.1	अनिर्णीत।
3	5	अनिर्णीत।
4	6.1	अनिर्णीत।
5	6.2	अनिर्णीत।
6	6.3	अनिर्णीत।
7	7	अनिर्णीत।
8	8	अनिर्णीत।
9	9	अनिर्णीत।
10	10	अनिर्णीत।
11	11	अनिर्णीत।
12	12	अनिर्णीत।
13	13	अनिर्णीत

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत स्वाड, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला कॉंगड़ा अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री मन मोहन शर्मा, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 29.11.2023 से 04.12.2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखों की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया :–

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021–22	08/2021	03/2022
2022–23	12/2022	03/2023

अस्वीकरणः– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है । उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा ।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत स्वाड़, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹4000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्रॉफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 540 दिनांक 04.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया ।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत स्वाड़, विकास खण्ड बैजनाथ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :–

(1) स्वः स्त्रोत :– ग्राम पंचायत स्वाड़ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	1004903.92	64375.00	34094.00	1103372.92	140690.00	962682.92
2022–23	962682.92	7228.00	427598.10	1397509.02	8550.00	1388959.02

(2) अनुदान : ग्राम पंचायत स्वाड़ के अवधि 01.04.2021 से 31.03.2023 तक के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–1** में भी दिया गया है :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021–22	2458333.10	5117285.69	108252.00	7683870.79	3943113.69	3740757.10
2022–23	3740757.10	7588028.50	119262.00	11448047.60	5791911.60	5656136.00

बैंक समाधान विवरणी :–

Own Source, 5TH SFC, Lada, 14thFC ,15th FC, MPLAD,		
A/c No. 245800100081515	**PNB Multhan**	**5178542**
A/c No. 245800100006141	**PNB Multhan**	**949126.39**
A/c No. 20016004827	**KCCB Baijnath**	**709813**
cash in hand		
	Total	**6837481.39**
Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		**1388959.02**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**3386**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**14861**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**5178542**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**258560**
Cash Book Balance on 31.03.2023		**200787**
	Total	**7045095.02**
	diffrence	**207613.63**

4.1 रोकड़ बही एवं बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में ₹2.08 लाख का बहुत ज्यादा अन्तर पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। दिनांक 31.03.2023 को स्वः–स्त्रोत तथा अन्य स्कीमों की रोकड़ बही एवं बैंक पास बुक के अन्तिम शेष का बैंक में कम जमा के रूप में बहुत ज्यादा अन्तर ₹207613.63 पाया गया, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 541 दिनांक 04.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि रोकड़ बहियों तथा बैंक खातों का मिलान करके आगामी अंकेक्षण में दर्शा दिया जायेगा ।

अतः अन्तर के कारणों का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये नियमानुसार रोकड़ बही के शेष व बैंक राशि का मिलान करना सुनिश्चित करें व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये ।

4.2 पंचायत के लेखें खातों का रख रखाव नियमानुसार न करना :–

1. हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(2) के अनुसार लेखों का रख रखाव खाता "क" व "ख" के रूप में किया जाना अपेक्षित है ।

2. निदेशक, पंचायती राज के पत्र संख्या PCH-HC(10)/2016-5072-95 दिनांक 24.01.2018 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार आय–व्यय का लेखांकन PRIYA SOFTWARE में किया जाना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में लेखों का रख रखाव उक्त नियम एवं निर्देशों के अनुसार नहीं किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण

अधियाचना संख्या 543 दिनांक 04.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि खाता "क" व "ख" का संधारण कर लिया जायेगा व प्रिया सॉफ्ट में कार्य कर रहे हैं जोकि पूर्ण कर लिया जायेगा ।

अतः नियम, प्रावधानों एवं निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये ये महत्वपूर्ण अभिलेख पूर्ण करके अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये।

5. **निवेशः–**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 11 के प्रावधानों अनुसार पंचायत अतिरिक्त निधियों (सभा निधि) को पंचायत द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु निवेशित किया जाना अपेक्षित है।

जबकि पैरा 4(1) में उल्लेखित वित्तीय स्थिति से स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को बचत खातों की अपेक्षा अधिक ब्याज अर्जित करने हेतु निवेशित नहीं किया गया था, जो न केवल उक्त नियम प्रावधानों की अवहेलना है, अपितु सीमित वित्तीय स्त्रोतों के प्रबन्धन की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत की सभा निधि में ₹1004904/– से ₹13,88,959/– तक की राशि शेष थी।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 5447 दिनांक 04.12.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सभा निधि के खाते की छानबीन करने उपरान्त अतिरिक्त राशि को सावधि में जमा करवा दिया जायेगा ।

अतः परामर्श दिया जाता है कि प्रस्ताव पारित करके बचत खातों की अपेक्षाकृत ब्याज के रूप में अधिक आय अर्जित करने हेतु सावधि में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा निवेश किये जाने की स्थिति में हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त) नियम, 2002 के नियम 12(1) के प्रारूप–1 में अपेक्षित निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

6. अनुदान राशि ₹56.56 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशि को फडिंग एजैन्सी की आवश्यकताओं और दिशा निर्देशों के अनुसार खर्च किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना (**परिशिष्ट–1**) के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान ₹56,56,136 / – की राशि उपयोग हेतु शेष थी । ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौत्तरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

7. पंचायत राजस्व ₹0.25 लाख की वसूली हेतू शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज वित्त नियम 2002, के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पत्ति कर की वसूली की जानी अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान पाया कि पंचायत में सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख पूर्ण रूप से तैयार नहीं किये गये थे जिस कारणवश सम्पत्ति कर से प्राप्त राशि, माँग की गई राशि एवं दिनांक 31.03.2023 को बकाया राशि की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी । पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं प्रस्तुत अभिलेखानुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹50/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर से गृहकर आरोपित किया गया था । दिनांक 31.03.2023 को निम्न विवरणानुसार पंचायत का कुल राजस्व ₹24,880/– (सम्पति कर ₹24480/–, व विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–) वसूली हेतु शेष थाः–

1. सम्पति कर :–

वर्ष	अथशेष (₹)	गृहकर की माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2021–22	11960	19800	31760	27280	4480
2022–23	4480	20000	24480	0	24480

उपरोक्त तालिका, तथ्यों एवं आंकडों से स्पष्ट है कि अंकेक्षण अवधि के दौरान सम्पति कर/गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 542 दिनांक 04.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्पत्ति कर से सम्बन्धित अभिलेख लगभग पूर्ण कर लिया गया है तथा जो बकाया राशि ₹24,480/– है वह शीघ्र ही वसूल कर ली जायेगी ।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें ।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹400/– की वसूली न करने बारे :–

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marriage 8017-8110 दिनांक 28.10.16 के अन्तर्गत विवाह के 30 दिन के भीतर पंजीकरण हेतु विवाह पंजीकरण शुल्क ₹200/– (बी0पी0एल0 परिवार ₹25/–)एवं 30 दिन के उपरान्त व 90 दिन के भीतर विवाह पंजीकरण शुल्क ₹400/–(बी0पी0एल0 परिवार ₹ 50/–) प्रति विवाह की दर से वसूल की जानी अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया कि वर्ष 2022–23 में निम्न विवरणानुसार ₹400/– विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूल नहीं किये गये थेः–

क्र0 सं0	विवाह पंजीकरण संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	वसूली योग्य राशि	वास्तविक वसूली गई राशि	कम वसूल की गई
1	01	किरण ठाकुर पुत्री श्री सांई दास	24.04.22	25.04.22	400	0	400

उक्त विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 548 दिनांक 04.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव से आग्रह किया गया जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कम वसूल की गई राशि प्राप्त कर ली जायेगी व आगामी अंकेक्षण में दर्शा दी जायेगी ।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

8. आपूर्तिकर्ता के बिलों से राशि ₹0.04 लाख की रॉयल्टी की कटौती न करना :–

हि0 प्र0 माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81–ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माईनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रॉजिट पास (फार्म–डब्ल्यू) या सप्लिमैंटरी पास (फार्म–एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25 % पैनल्टी सहित करना होगा ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रॉजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को निम्न विवरणानुसार ₹4,276/–

का अनियमित भुगतान किया गया। इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 545 दिनांक 04.12.2023 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य सूचित किया गया कि रॉयल्टी की वसूली सम्बन्धित सप्लायर से कर ली जायेगी । उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार ट्रॉजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 % पैनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके हि0 प्र0 सरकार के आय लेखा शीर्षक: "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession Fee and Royalities, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा अंकेक्षणावधि के दौरान ऐसे अन्य मामलों की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच करते हुये वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार देय राशि की भी वसूली करना सुनिश्चित करें।

बिल का विवरण	मद नाम	मात्रा (cft)	मात्रा (cum)	निर्धारित फैक्टर	मात्रा मिट्रिक टन	रॉयल्टी (प्रति मि0 टन)	राशि
प्रस्तुत परिशिष्ट अनुसार वर्ष 2021–22	रेत	490	13.87	1.62	22.46	60	1348.00
	बजरी	740	20.95	1.52	31.84	60	1910.00
	ईटें	1000					163.00
						कुल :	**3421.00**
						पैनल्टी 25 %	**855.00**
						कुल योग:	**4276.00**

9. औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ₹1.35 लाख स्टॉक/स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4), 67(5) एवं 69 द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकतायें (निविदायें इत्यादि आमन्त्रित करना) प्रावधित हैं ।

व्यय वाउचरों की जाँच में पाया कि पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹1,34,916/– के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना ही किया गया था एवं समुचित आपूर्ति आदेश के अभाव में प्राप्त सामग्री की माँग अनुरूप होने की और बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने की पुष्टि अंकेक्षण में नहीं हो सकी, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 547 दिनांक 04.12.2023 द्वारा तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करने बारे अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि किये गये क्रय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जायेगी।

अतः उक्त नियम प्रावधानों की अनुपालना न करने के कारणों का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुये कृत व्यय की कार्योत्तर स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवायें एवं भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही क्रय करना सुनिश्चित किया जाये।

वाउचर संख्या व दिनांक	बिल का विवरण	सामग्री का विवरण	राशि	कार्य का नाम
12, 24.07.21	बिल नं0 009 दि0 04.03.21, मै0 राजीव कुमार फर्नीचर हाउस	दरवाजे खिडकियाँ	13000.00	नि0 शौचालय जीपीएस छेरना
19, 04.10.21	बिल नं0 878 दि0 24.06.21 मै0 भगवती जनरल स्टोर	रंग	9150.00	नि0 पुली वार्ड नं0 1 भुजलिंग BASP
21, 04.10.21	बिल नं0 419 दि0 26.09.21, मै0 राम लाल	कैरिज चार्जिज	18196.00	नि0 पुल झरगड भुजलिंग BASP
23, 04.10.21	बिल नं0 420 दि0 26.09.21, मै0 राम लाल	कैरिज चार्जिज	32160.00	नि0 पुल झरगड भुजलिंग BASP
58, 04.03.22	बिल नं0 078 दि0 03.03.22 मै0 डी0के0 टिम्बर	दरवाजे खिडकियाँ	48270.00	नि0 कार्य पूर्ण पंचायत घर 14th FC
01, 04.04.22	बिल नं0 167 दि0 22.03.22 मै0 ठाकुर इलैक्ट्रिकल	बिजली सामान	14140.00	नि0 कार्य पूर्ण पंचायत घर 14th FC
			134916.00	

10. आपूर्तिकर्ता के बिलों से आयकर की धारा 194 C के अनुसार ₹5039/– TDS कटौती न करने बारे :–

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 C के अनुसार यदि कार्य को करने पर किसी ठेकेदार को एक वित्तीय वर्ष में ₹100000/– या अधिक की अदायगी अथवा एक बार में ₹30000/– से अधिक की अदायगी की जाती है तो आहरण व संवितरण अधिकारी ठेकेदार के बिल से आय स्त्रोत पर व्यक्ति की दशा में 1 प्रतिशत व फर्म की दशा में 2 प्रतिशत आयकर की कटौती करेगा तथा की गई कटौती को सरकारी खाते में समयबद्ध तिथि को जमा करवायेगा।

अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचर संख्या 22,23,24 दिनांक 03.03.2023 के तहत ₹5,03,860/– की राशि का भुगतान जे0सी0बी0 कार्य हेतु किया गया था । अतः 1 प्रतिशत की दर से ₹5039/– बिल से स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 549 दिनांक 04.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि सम्बन्धित सप्लायरकर्ता से टीडीएस वसूल करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जायें तथा अंकेक्षणावधि में ऐसे अन्य मामलों में किये गये भुगतानों की संस्था स्तर पर विस्तृत जाँच पर वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से भी अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

11. अपेक्षित निर्माण सामग्री की खपत से कम सामग्री की खपत करने के कारण निम्न गुणवत्ता से कार्य का निष्पादन करना :–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत स्वाड द्वारा निर्माण कार्य करवाये गये थे। निम्न वर्णित कार्य की माप पुस्तिका की जाँच में पाया कि निर्माण कार्यों हेतु निष्पादित की गई कार्य मात्रा अनुसार निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खपत की दर्शाई गई सीमेन्ट की मात्रा वास्तविक स्टॉक से जारी सीमेंट की मात्रा से अधिक थी जिसका समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाना सुनिश्चित करें अथवा निम्न गुणवता के कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

कार्य का नाम	माप पुस्तिका सं0 व पेज	माप पुस्तिका अनुसार निष्पादित की गई सीमेंट की मात्रा	स्टॉक रजिस्टर अनुसार जारी की गई सीमेंट की मात्रा	अन्तर
नि0 रास्ता जटटू राम के घर से नाले की ओर	10618, 5–6	70 बैग	50 बैग	20
नि0 रास्ता व नाली गॉव जुधार	10618, 3–4	52 बैग	44 बैग	8
				28

2. उक्त कार्यों हेतु 70 व 52 बैग सीमेंट की ढुलवाई हेतु 40/– प्रति बैग की दर से भुगतान किया गया दर्शाया गया है । अतः भुगतान की गई राशि को न्यायोचित ठहराने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 550 दिनांक 04.12.2023 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि कम जारी की गई सीमेंट की आपूर्ति सम्बन्धित लाभार्थियों द्वारा की गई है व ढुलवाई के लिये किये गये भुगतान की छानबीन करने उपरान्त यदि ज्यादा भुगतान हुआ है तो उसकी वसूली करके जमा करवा दी जायेगी।

अतः अधिक भुगतान 28×40= 1120.00 की राशि की वसूली करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण को दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाये ।

12. प्रिया सॉफट तथा मैनुअल संधारित लेखों में ₹3.94 लाख की राशि के अन्तर बारेः–

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में मिशन प्रोजैक्ट प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि0प्र0 कर रहा है। इस योजना के क्रियान्वयन के साथ–साथ हि0प्र0 पंचायती राज नियम (सामान्य) 1997 के नियम 34

में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अन्तर्गत ई–पंचायत में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल व प्रिया सॉफटवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो खाते प्रिया सॉफटवेयर में बनाये जा रहे है उनका मैनुअल रोकड़ बही व बैक खातों से मिलान न होने के कारण ₹3,94,586.54 की राशि का निम्नविवरणानुसार अन्तर पाया गयाः–

31.03.2023 को प्रिया साफॅटवेयर में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	72,38,894.56
31.03.2023 को मैनुअल में संधारित रोकड़ बही का अन्तशेष	₹	68,44,308.02
अन्तर	₹	3,94,586.54

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 546 दिनांक 04.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को इस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसके सन्दर्भ में पत्र संख्या शून्य दिनांक शून्य द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि प्रियासॉफ्ट बेबसाईट वाधित होने के कारण अन्तर है उक्त अन्तर को ठीक कर दिया जायेगा ।

अतः प्रिया सॉफ्ट तथा मैनुअल संधारित लेखों के अन्तर सम्बन्धी वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये तदानुसार अन्तर को ठीक करने उपरान्त वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाये ।

13. विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31, 72 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के

नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये :–

क्रम सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	विकास कार्यों के निष्पादन का रजिस्टर हि0प्र0 पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997	7	34
4	अनुदान रजिस्टर	8	34
5	प्रकीर्ण मॉग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77(4)
6	बजट प्राकल्लन	11, 12	37, 38
7	बिल रजिस्टर	13	48
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1)(ग)
9	माप पुस्तिकाओं का अनुरक्षण रजिस्टर		101(2) (V)
10	वर्गीकृत सार	8	29 (4)

14. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाये तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

15. मस्ट्रोलों को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना :–

पंचायत द्वारा लाखों रूपये के निर्माण कार्य मजदूरों से करवाये गये तथा उन्हें मस्ट्रोलों पर भुगतान किया गया था परन्तु हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 (1) तथा 108 के अनुसार निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से उक्त नियमानुसार सत्यापित नहीं करवाया गया था।

अतः उक्त के अभाव में भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करते हुये अमल में लाई गई सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।

16. **लघु आपित्त विवरणिका** :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया ।

17. **निष्कर्ष** :– लेखों में सुधार की आवश्यकता है ।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

05 FEB 2024

638–642 का० प्रति०

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)197/2018–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत स्वाड, विकास खण्ड बैजनाथ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

05 FEB 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का० प्रति०

परिषिश्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा सख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Swad" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	-52310	577409	0	525099	319167	205932
2	5 SFC	-8960	186520	0	177560	178490	-930
4	14TH FC	1497736.1	5400	41724	1544860.1	924155	620705.1
5	15TH FC	1021867	1826655	66528	2915050	0	2915050
13	MNREGA	0	2521301.69	0	2521301.69	2521301.69	0
	Total Rs.	2458333.1	5117285.69	108252	7683870.79	3943113.69	3740757.1

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Swad" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	205932	792000	0	997932	994546	3386
2	5 SFC	-930	255181	0	254251	239390	14861
4	14TH FC	620705.1	4500	15905	641110.1	641110.1	0
5	15TH FC	2915050	2559328	103357	5577735	399193	5178542
7	LADA	0	700000	0	700000	441440	258560
11	MPLAD	0	240000	0	240000	39213	200787
13	MNREGA	0	3037019.5	0	3037019.5	3037019.5	0
	Total Rs.	3740757.1	7588028.5	119262	11448047.6	5791911.6	5656136

Balance as per Bank on 31.03.22

1 Own Source, ,5TH SFC, Lada, 14thFC, ,15th FC, MPLAD,		
A/c No. 2458000100081515	PNB Multhan	5178542
A/c No. 2458000100006141	PNB Multhan	949126.39
A/c No. 20016004827	KCCB Baijnath	709813
cash in hand		
	Total	6837481.39

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)		1388959.02
Cash Book Balance on 31.03.2023		3386
Cash Book Balance on 31.03.2023		14861
Cash Book Balance on 31.03.2023		5178542
Cash Book Balance on 31.03.2023		258560
Cash Book Balance on 31.03.2023		200787
	Total	6844308.02
	diffrence	6826.63

Sd/-
उपप्रधान सचिव
ग्राम पंचायत Swad
वि. खण्ड बैजनाथ (कांगड़ा) हि.प्र.

परिशिष्ट–1

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 4 के सन्दर्भ में

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Swad" for the year ended 2021-22

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	-12310	577409	0	525099	319167	205932
2	5 SFC	-8960	186520	0	177560	178490	930
4	14TH FC	1457736.1	5400	41724	1344860.1	924155	620705.1
5	15TH FC	1021867	1826655	66528	2915050	0	2915050
13	MNREGA	0	2521301.69	0	2521301.69	2521301.69	0
	Total Rs.	2458311.1	5117285.69	108252	7683870.79	3943113.69	3740757.1

Financial Position of Grant in aid in r/o Gram Panchayat "Swad" for the year ended 2022-23

Sr.no.	Particulars	Op.Balance	Receipt	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
1	BASP	205932	792000	0	997932	994546	3386
2	5 SFC	-930	255181	0	254251	239390	14861
4	14TH FC	620705.1	4500	15905	641110.1	641110.1	0
5	15TH FC	2915050	2559128	103357	5577535	399193	5178342
7	SADA	0	700000	0	700000	441440	258560
11	MPLAD	0	240000	0	240000	39213	200787
13	MNREGA	0	1037019.5	0	1037019.5	1037019.5	0
	Total Rs.	3740752.1	7582028.5	133262	11448047.6	5791911.1	5656136

Balance as per Bank on 31.03.22

(Own Source, 5TH SFC, Sada, 14thFC, 15th FC, MPLAD,

A/c No. 2458002100083515	PNB Multhan	5178542
A/c No. 2458000100006141	PNB Multhan	949126.39
A/c No. 20010004827	KCCB Baijnath	709813
cash in hand		
	Total	6837481.39

Cash Book Balance on 31.03.2022 (Own Source)	1088953.02
Cash Book Balance on 31.03.2023	3386
Cash Book Balance on 31.03.2023	14861
Cash Book Balance on 31.03.2023	5178542
Cash Book Balance on 31.03.2023	258560
Cash Book Balance on 31.03.2023	200787
Total	7045095.02
difference	207613.63

Financial Position of Own sources in r/o GP Swad

	Years	Op.Balance	Receipt	Instt.	Total	Expenditure	Closing Balance
	2021-22	1004903.92	64375	34094	1103372.92	140690	962682.92
	2022-23	962682.92	7228	427598.1	1397509.02	8550	1388959.02

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत
वि. खण्ड बैजनाथ (कांगड़ा) हि.प्र

परिशिष्ट-2
(अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 9 के संदर्भ में)

GRAM PANCHAYAT SWAD DEV BLOCK BAIJNATH

Sr No.	Name of Work	Head	Vendor Name	Voucher No and Date	Bill No and Date	Sand(CFT)	Bazri (CFT)	Boulder (CFT)	Bricks	Amount
		FY 2021-2022								
1	C/o Playground GMS Swar	15th fc	Ramlal	46,24/03/2022	438,10/02/2022	90	80			10590
	C/o Playground GMS Swar	15th fc	Roop Chand	48, 24/03/2022	042, 03/02/2022				1470	15582
2	C/o Path And Drain Chherna	14th fc	Ramlal	47,24/03/2022	440, 23/02/2022	50	50			5060
3	C/o Path and Drain Judhar	14th fc	Ramlal	47, 24/03/2022	440, 23/02/2022	90	210			18000
4	C/o Path Jattu Ram House Nala Towards	14th fc	Ramlal	46,24/03/2022	438/10/02/2022	160	250			24970
5	C/o Ambulance Road Project To Vill Swar Towards	BASP	Ramlal							
6	C/o Path Project to Bhujling towards	SF	Ramlal	40,25/02/2022	441,25/02/2022	100	150			15250
7	C/o R/Wall/B/Wall Gms Swar	SF	Ramlal							
8	C/o Sadak/Path Lohardi to Swar	SF	Joginder Singh Sons	43,24/03/2022	05,04/02/2022					
9	C/o Pul Jhargad	SF	Ramlal							
10	Completion of Panchayat Ghar Swar	14th fc	Roop Chand	48, 24/03/2022	42, 03/02/2022				1790	18974
11	Land Dev at Milakhi Ram S/o Bhangru Ram Land	Mnrega	Ramlal							
					TOTAL	490	740	0	3260	108426
		FY 2022-2023								
1	C/o Link Road Termehar to Judhar Village	LADA								
2	C/o Jeepable Road Termehar to Judhar Ward no 5	BASP								
3	C/o Path From Basahru Ram House to end Of Village	MPLADE								
	C/o Gramin Sadak Mamna	14th fc PS								
	Land Dev Moti Ram s/o Khanu Ram	Mnrega			TOTAL	0	0	0	0	0

Secretary
Gram Panchayat Swar
Dev. Block Baijnath (Kangra) (H.P.)